(70)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रव , क्रमांक निगरानी 1044–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 15–2–2016 पारित द्वारा अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण क्रमांक 583/अपील/12–13.

मोहनलाल गौर आत्मज नंदलाल गौर
कृषक व निवासी समनापुर कलां उपग्राम ठीकरी
तहसील गौहरगंज जिला रायसेन .....आवेदक

विरूद्ध

मिट्ठूलाल गौर आत्मज हल्कूराम
कृषक व निवासी समनापुर कलां उपग्राम ठीकरी
तहसील गौहरगंज जिला रायसेन .....अनावेदक

श्री मेहरबान सिंह, अभिभाषक, आवेदक
श्री गुलाब सिंह चौहान, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 9/8/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–2–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक मोहनलाल गौर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, गौहरगंज के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम समनापुर कलां स्थित कुल सर्वे नम्बर 11 कुल रकबा 7.878 हेक्टेयर आवेदक के पिता नंदलाल गौर व इमरती पत्नी दयाराम के नाम संयुक्त खाते में दर्ज थी । नायब तहसीलदार, गौहरगंज द्वारा प्रकरण क्रमांक 4/अ–6/83–84 में दिनांक 11–1–1988 को आदेश पारित कर सह खातेदार इमरतीबाई का नाम कम करते हुए नंदलाल का नाम शेष रखा गया है, और आदेश राजस्व मण्डल द्वारा यथावत रखा गया है, अतः अभिलेख दुरूस्त

किया जाये । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पत्र कमांक 821/रीडर/11 दिनांक 12–11–2011 तहसीलदार, गौहरगंज को लिखा जाकर तहसील न्यायालय का प्रकरण कमांक 4/अ–6/83–84 आदेश दिनांक 11–1–1988, अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 3–2–89 अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 1–11–1991 एवं राजस्व मण्डल द्वारा रिव्यु प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 28–8–09 की छायाप्रति संलग्न करते हुए नियमानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये । उक्त पत्र के पालन में तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 1/अ–6–अ/तह/11–12 दर्ज कर दिनांक 29–2–2012 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमियों पर आवेदक मोहन पिता नंदलाल गौर का नाम दर्ज करने के आदेश दिये गये । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, गौहरगंज के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 14–5–13 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किया गया । साथ ही आदेशित किया गया कि उभय पक्ष हिन्दु परिवार की सम्पत्ति के नामान्तरण के सम्बन्ध में नये सिरे से आवेदन पेश कर नामान्तरण की कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र हैं । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 15–2–2016 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखते हुए अपील निरस्त की गई साथ ही निर्देश दिये गये कि उभय पक्षों के सम्बन्ध में व्यवहार न्यायालय के अंतिम आदेश उपरांत तहसीलदार नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु स्वतंत्र है । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त का निष्कर्ष उचित नहीं है कि व्यवहार न्यायालय में प्रकरण लंबित है, क्योंकि व्यवहार न्यायालय से प्रकरण का अंतिम निराकरण हो चुका है । यह भी कहा गया कि अनावेदक ने आवेदक की बहन, उसके पति व बच्चों को पक्षकार बनाकर वाद प्रस्तुत किया था कि प्रश्नाधीन सम्पत्ति पैतृक है, जिसे व्यवहार न्यायालय द्वारा नहीं माना गया है, अतः अनुविभागीय अधिकारी का निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण है कि प्रश्नाधीन भूमि पैतृक सम्पत्ति है । तर्क में यह भी कहा गया कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 (6)(ग) में संशोधन वर्ष 2004 में हुआ है, उससे पहले के अन्तरण प्रभावित नहीं होते हैं । यह भी तर्क प्रस्तुत किया

गया कि प्रश्नाधीन भूमि के सम्बन्ध में तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 4/अ–6/83–84 में दिनांक 11–1–1988 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन सम्पूर्ण भूमि पर आवेदक का नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये हैं, और उक्त आदेश राजस्व मण्डल से स्थिर रखा गया है । अतः अपर आयुक्त एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा वरिष्ठ न्यायालयों के आदेश के विपरीत आदेश पारित करने में विधि एवं न्याय की गम्भीर भूल की गई है । यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय द्वारा सभी हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देते हुए आदेश पारित किया गया । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि व्यवहार न्यायालय से भी अनावेदक का वाद निरस्त हो गया है, और उसका प्रश्नाधीन भूमि पर कोई स्वत्व नहीं माना गया है । उनके द्वारा अपर आयुक्त एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त किये जाकर तहसील न्यायालय का आदेश स्थिर रखने का अनुरोध किया ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) प्रश्नाधीन भूमि राजस्व अभिलेखों में नंदलाल एवं इमरतीबाई के नाम दर्ज थी, क्योंकि किशोरीलाल, मोतीलाल एवं अनावेदक के पिता हल्कूराम पूर्व में ही फौत हो चुके थे, और हल्कूराम की पत्नी मुल्लोबाई जो कि उभय पक्ष की मां है, ने नंदलाल से नातरा विवाह कर लिया था, जिसके दो संतानें आवेदक मोहनलाल एवं एक पुत्री दौला बाई हुईं । इस प्रकार अनावेदक हल्कूराम का एकमात्र पुत्र होने से प्रश्नाधीन भूमि में उसका 1/2 हिस्सा है ।

(2) राजस्व मण्डल ने अपील प्रकरण कमांक 74–पीबीआर/92 में दिनांक 28–8–2000 एवं रिव्यु प्रकरण कमांक 727–एक/04 में पारित आदेश दिनांक 28–8–2009 से प्रश्नाधीन भूमियां पैतृक भूमि घोषित की गई हैं, ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित आदेश हैं ।

(3) व्यवहार न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा जिला न्यायाधीश, रायसेन के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है, जिसका प्रकरण कमांक 1900056/2016 है, इसलिए व्यवहार न्यायालय का आदेश अन्तिम नहीं हुआ है ।

उनके द्वारा अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त

द्वारा दिनांक 15–2–2016 को वादग्रस्त आदेश पारित कर उभय पक्ष के मध्य प्रश्नाधीन भूमि के सम्बन्ध में व्यवहार वाद लम्बित रहने के कारण कोई आदेश पारित नहीं किया जाना यथोचित माना है । वर्तमान में व्यवहार न्यायालय द्वारा व्यवहार वाद में आदेश पारित कर दिया गया है, ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में यह विधिक एवं न्यायिक आवश्यकता है कि प्रकरण इस निर्देश के साथ अपर आयुक्त को प्रत्यावर्तित किया जाये कि वे व्यवहार न्यायालय के आदेश को संज्ञान में लेते हुए उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देकर विधि अनुसार आदेशे पारित करें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–2–2016 निरस्त किया जाता है । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में निराकरण हेतु अपर आयुक्त को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर